भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5790

सोमवार, 30 मार्च, 2026 / 09 चैत्र, 1948 (शक)

श्रम कानून सुधार

†5790.श्री शाहू शहाजी छत्रपतीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या श्रम कानून सुधारों के दौरान कोल्हापुर जिले सहित महाराष्ट्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) संघों के साथ सरकार द्वारा परामर्श किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उनके सुझावों की सरकार द्वारा जांच की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): केंद्रीय सरकार द्वारा चार श्रम संहिताओं अर्थात्; वेतन संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 को दिनांक 21.11.2025 से पूरे देश में लागू किया है।

श्रम संहिताओं को तैयार करते समय, महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया गया था। इसके अलावा, संहिताओं को अंतिम रूप देने के लिए दिनांक 10.03.2015, 13.04.2015, 06.05.2015, 14.07.2015, 06.10.2015, 04.10.2017, 22.11.2018, 27.11.2018 और दिनांक 05.11.2019 को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता संघों के प्रतिनिधियों के साथ नौ त्रिपक्षीय परामर्श बैठकें आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत बनाए गए मसौदा नियमों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 24.12.2020, 12.01.2021 और दिनांक 20.01.2021 को सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता संघों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए 03 त्रिपक्षीय बैठकें भी आयोजित की गईं।

*****